


उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-3  
संख्या-टी0-280/दो-3-2018  
लखनऊ : दिनांक 09 जनवरी, 2019

### कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री नन्हें लाल, डिप्टी कलेक्टर, इटावा को जनहित में उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित एवं स्वतः कार्यमुक्त करते हुए डिप्टी कलेक्टर, कुम्भ मेला, प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- उक्त अधिकारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा एवं ज्वाइनिंग पीरियड का उपभोग किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार स्थानान्तरित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को शासन के स्वतः कार्यमुक्ति आदेश के दृष्टिगत तत्काल अपने स्तर से भी कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

  
(सुरेश कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- मण्डलायुक्त, प्रयागराज/कानपुर।
- 5- जिलाधिकारी, प्रयागराज/इटावा।
- 6- मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे नवीन तैनाती के जनपद में तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए, कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को हार्ड कॉपी एवं Email Id- soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 8- नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 9- विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
  
(सुरेश कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव।


उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-3  
संख्या-टी0-279/दो-3-2018  
लखनऊ : दिनांक 09 जनवरी, 2019

### कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री प्रेमचन्द्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर, कानपुर नगर को जनहित में उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित एवं स्वतः कार्यमुक्त करते हुए डिप्टी कलेक्टर, कुम्भ मेला, प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- उक्त अधिकारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा एवं ज्वाइनिंग पीरियड का उपभोग किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार स्थानान्तरित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को शासन के स्वतः कार्यमुक्ति आदेश के दृष्टिगत तत्काल अपने स्तर से भी कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

  
(सुरेश कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- मण्डलायुक्त, प्रयागराज/कानपुर।
- 5- जिलाधिकारी, प्रयागराज/कानपुर नगर।
- 6- मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे नवीन तैनाती के जनपद में तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए, कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को हार्ड कॉपी एवं Email Id- soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 8- नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 9- विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
  
(सुरेश कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव।


उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-3  
संख्या-टी0-278/दो-3-2018  
लखनऊ : दिनांक 09 जनवरी, 2019

### कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अशोक कुमार मौर्य, डिप्टी कलेक्टर, मैनपुरी को जनहित में उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित एवं स्वतः कार्यमुक्त करते हुए डिप्टी कलेक्टर, कुम्भ मेला, प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- उक्त अधिकारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा एवं ज्वाइनिंग पीरियड का उपभोग किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार स्थानान्तरित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को शासन के स्वतः कार्यमुक्ति आदेश के दृष्टिगत तत्काल अपने स्तर से भी कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

  
(सुरेश कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- मण्डलायुक्त, प्रयागराज/आगरा।
- 5- जिलाधिकारी, प्रयागराज/मैनपुरी।
- 6- मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे नवीन तैनाती के जनपद में तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए, कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को हार्ड कॉपी एवं Email Id- soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 8- नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 9- विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
  
(सुरेश कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव।


उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-3  
संख्या-टी0-277/दो-3-2018  
लखनऊ : दिनांक 09 जनवरी, 2019

### कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री प्रशान्त कुमार नायक, डिप्टी कलेक्टर, महोबा को जनहित में उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित एवं स्वतः कार्यमुक्त करते हुए डिप्टी कलेक्टर, कुम्भ मेला, प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- उक्त अधिकारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा एवं ज्वाइनिंग पीरियड का उपभोग किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार स्थानान्तरित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को शासन के स्वतः कार्यमुक्ति आदेश के दृष्टिगत तत्काल अपने स्तर से भी कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

  
(सुरेश कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- मण्डलायुक्त, प्रयागराज/चित्रकूट धाम मण्डल।
- 5- जिलाधिकारी, प्रयागराज / महोबा।
- 6- मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे नवीन तैनाती के जनपद में तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए, कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को हार्ड कॉपी एवं Email Id- soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 8- नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 9- विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
  
(सुरेश कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव।